क्रम-संख्या–59 (क–5)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 6 अप्रैल, 2023

चैत्र 16, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3

संख्या 689 / 2023 / 8-3099-91-2019

लखनऊ, 6 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

प०आ०–226

प्रदेश में ठोस परिवहन अवसंरचना के विकास, विद्यमान वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स ढांचे के उन्नयन, प्रभावी संस्थात्मक गवर्नेन्स की व्यवस्था, कार्य बल की कुशलता को बढ़ावा देने तथा स्मार्ट लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के साथ–साथ लॉजिस्टिक्स सुविधा की स्थापना हेतु निजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 जारी की गयी है। नीति के अध्याय–9 के अन्तर्गत वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स इकाईयों को प्रोत्साहन के रूप में विकास शुक्ल में 75 प्रतिशत छूट प्रदान करने का प्राविधान किया गया है।

2–अतएव उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 53 में वर्णित छूट सम्बन्धी प्राविधान के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सुविधाओं / इकाईयों को प्रस्तर–3 में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन विकास शुल्क की दर के समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी जमा कराने पर (जो वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ होने पर अवमुक्त की जाएगी) विकास शुल्क में 75 प्रतिशत छूट प्रदान करने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :–

(क) न्यूनतम 01 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल तथा न्यूनतम रु0 20 करोड़ के पूंजी निवेश वाली वेयर हाउसिंग (गोदाम सहित);

(ख) न्यूनतम 04 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम रु0 30 करोड़ के पूंजी निवेश वाली साइलोज (Silos);

(ग) न्यूनतम 20000 वर्ग फीट क्षेत्रफल तथा न्यूनतम रु0 15 करोड़ के पूंजी निवेश वाली कोल्ड चेन फेसिलिटीज;

(घ) ड्राई प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत न्यूनतम 10 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम रु0 50 करोड़ के निवेश वाले इनलैण्ड कन्टेनर डिपो/कन्टेनर फ्रेट स्टेशन्स/एयर फ्रेट स्टेशन्स;

(च) न्यूनतम 25 एकड़ क्षेत्रफल पर लॉजिस्टिक्स पार्क्स;

(छ) नेशनल हाइवे/एक्सप्रेसवे/स्टेट हाइवे/प्रामिनेन्ट फ्रेट रूट्स के दोनों ओर 02 किमी0 की दूरी तक न्यूनतम 10 एकड़ क्षेत्रफल के ट्रकर्स पार्क।

3–विकास शुल्क में उक्त छूट सम्बन्धित विभाग/नोडल संस्था द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट/पंजीकृत/अनुमोदन प्राप्त इकाईयों हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन देय होंगी :–

(3.1) इकाई का संचालन आगामी पाँच वर्षों तक किए जाने की बाध्यता होगी।

(3.2) इकाई को निर्धारित अवधि तक न चलाने तथा अधिसूचना की किसी शर्त का उल्लंघन किए जाने पर शुल्क में दी गई छूट की समस्त धनराशि 15 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज सहित वापस करनी होगी, अन्यथा उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये की भाँति की जाएगी।

(3.3) नीति के अधीन सभी अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक स्वीकृतियाँ सम्बन्धित इकाईयों द्वारा स्वयं प्राप्त की जाएगी और सम्बन्धित विभाग के निर्देशों/नीति का अनुपालन किया जाएगा। उक्त प्राविधान के उल्लंघन की दशा में सभी प्रोत्साहन एवं छूट निरस्त कर दिए जाएंगे।

(3.4) इकाई के लिए उद्यमी द्वारा स्थल का चयन ऐसे स्थान पर किया जाएगा, जहाँ पर बिजली, सड़क, पानी, सीवर, नाला (ड्रेनेज) आदि वाह्य विकास की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 130 राजपत्र–2023–(164)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 4 सा0 आवास एवं शहरी नियोजन–2023–(165)–1040 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।